भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2727

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

केरल को खाद्यान्नों का आंबटन

2727. श्री एन. के. प्रेमचंद्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार के मासिक आबंटन दर के अलावा खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा के उपयोग की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण खाद्यान्न की मात्रा 16 लाख टन से घटाकर 14.25 लाख टन किए जाने के कारण केरल सरकार के सामने आ रहे संकट की जांच की है और यदि हां, तो इस संकट से उबरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 'टाइड ओवर' हिस्सा आवंटित करने के केरल सरकार के अनुरोध की जांच की है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केरल खाद्यान्न आवश्यकता का 15 प्रतिशत से भी कम उत्पादन कर रहा है और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर है, केरल पर विशेष ध्यान देने का है; और

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केरल राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ टाइड ओवर वितरण की मासिक अधिकतम सीमा में छूट देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों के अनुसार, केरल के लिए कुल टाइड ओवर कोटा में किसी भी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं है। यह भी सूचित किया गया कि भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत आबंटित छह माह तक के राशन को अग्रिम रूप से उठाने और वितरित करने की अनुमति है। अत: केरल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अग्रिम उठान के प्रावधान के बारे में जाने और उसका उपयोग करे।

...2/-

(ख): एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को खाद्यान्नों का आबंटन, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित जनसंख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कवरेज के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान और अधिनियम के तहत निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के आधार पर किया जाता है, अर्थात अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए परिवारों के लिए प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम है। अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि उपर्युक्त के आधार पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का वार्षिक खाद्यान्नों का आबंटन पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान से कम है, तो इसे "टाइड-ओवर" आबंटन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्यान्नों की पात्रता अधिनियम की अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट है। अनुसूची-IV के अनुसार, केरल राज्य प्रति वर्ष 1425049 टन (424751 टन टाइड ओवर आबंटन सहित) खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है।

एनएफएसए के तहत केरल राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की संख्या 154.80 लाख है और राज्य द्वारा पहले ही अधिनियम के तहत अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। तदनुसार, राज्य सरकार को एनएफएसए की कीमतों पर प्रति माह 85459.885 टन खाद्यान्न आबंटित किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान की सुरक्षा के लिए "टाइड ओवर" के तहत प्रति माह 33294.198 टन खाद्यान्न आबंटित किया जा रहा है। इस प्रकार, केरल राज्य को प्रति माह 118754.083 टन खाद्यान्न (प्रति वर्ष 1425049 टन खाद्यान्न) प्राप्त हो रहा है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है।

(ग): केरल राज्य सरकार से "टाइड ओवर" के तहत खाद्यान्न आबंटन में पात्रता से अधिक वृद्धि का अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य को सूचित किया गया कि खाद्यान्न आबंटन के मानदंड सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू हैं, इसलिए, किसी विशेष राज्य द्वारा "टाइड ओवर" आबंटन में उसकी पात्रता से अधिक वृद्धि के अनुरोध पर सहमति नहीं दी जा सकती।

(घ) और (ङ): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****